विचार बिन्दु

चापलूसी तीन घृणित दुर्गुणों से बही है-असत्य, दासत्व और विश्वासघात। -अज्ञात

सरकार का एक ही काम, उलझाओ सुबह और शाम

2014 जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक आशा जगी थी कि सरकारी कामकाज में सरलीकरण होगा तथा जनता को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक सभाओं में यह कहा कि उनका उद्देश्य श्रेष्ठ शासन और न्यूनतम सरकार का रहेगा । इसका अर्थ हुआ कि सरकारी कार्यालय के द्वारा आम नागरिकों के काम करने में रोड़े नहीं लगाए जाएंगे ताकि वे अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार स्वयं प्रगति करें तथा देश की उन्नति में भी योगदान कर सकें।

भाजपा सरकार के 11 वर्ष के बाद, होना तो ऐसा चाहिए था कि नागरिक के सभी काम सरलता से होते। उसके जीवन में आने वाली सरकारी उलझनें सुलझनी चाहिए थीं । आज की स्थिति को देखें तो लगता है कि सामान्य नागरिक के प्रत्येक काम जैसे जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, छात्रवृत्ति के लिए सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आयुष्मान योजना में इलाज कराना हो, नया उद्यम प्रारंभ करना हो, भर्ती परीक्षा में भाग लेना हो, अपने मकान का नक्शा पास कराना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हर काम में नागरिक के जीवन में उलझनें पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार और परेशानियां नहीं थीं, किंतु इस सरकार ने उन्हें दूर करने का वादा किया था। इसलिए इससे अपेक्षा भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। इस आलेख में हम यह विश्लेषण उन्हीं अपेक्षाओं के संदर्भ में करेंगे।

डिजिटाइजेशन, जिसे हर समस्या के हल के रूप में सरकार द्वारा लाया गया, उसने अधिकांश गरीब लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दीं, क्योंकि वे इस प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम ही नहीं हैं। सरलीकरण के नाम पर जितने भी आदेश सरकार ने जारी किए, उनसे जटिलता और बढ़ गई है। इस धरातलीय तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण उपयुक्त होंगे।

सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया। सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । कुछ समय बाद यह देखा गया कि मजदूरी करने वाले, घरों पर बर्तन साफ करने वाले निर्धन व्यक्तियों की उंगलियों के निशान मिट जाने से उनके बायोमेट्रिक निशान रिकॉर्ड से मिलान नहीं होते थे। इस आधार पर उन्हें फर्जी मानकर उनका राशन बंद कर दिया गया। इसे पुनः जारी करवाने की प्रक्रिया में कई सामाजिक संस्थाओं को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो निर्धन व्यक्ति नियमित रूप से राशन ले रहे थे, उन्हें इससे वंचित होना पड़ा। इससे उनकी उलझन और बढ़ गई।

सामान्यतया, ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा शहरी कच्ची बस्तियों में फॉर्म भरते समय नाम के अक्षरों में कभी-कभार कोई छोटी-मोटी गलती हो जाया करती है। अब ऐसा होने पर, वे किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं ,क्योंकि अधिकांश योजनाओं की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है । उदाहरण के लिए, हमारे यहां काम करने वाले एक व्यक्ति के पिता का नाम एक दस्तावेज में 'विजय कुमार' लिखा हुआ था और किसी दूसरे में 'वी के' लिखा हुआ था, इस कारण उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया और वे सभी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए, जबकि उनकी अन्य सारी सूचनाएं सही अंकित थीं। इन दस्तावेजों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उन्होंने इस लाभ को छोड़ देना ही अधिक अच्छा माना, बजाय इसके कि वे विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते और दैनिक मजदूरी से भी हाथ धो बैठते।

बैंक खाता खुल जाने के बाद भी हर 3 वर्ष में केवाईसी का प्रावधान किया गया है। अधिकांश गरीब व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन केवाईसी को अप डेट करना कतई संभव नहीं है। इस कारण बैंक से जुड़ी हुई सुविधाओं से वे वंचित हो गए हैं। सारी प्रक्रियाएं ऑन लाइन होने के कारण गरीब, अशिक्षित लोगों की छोटी सी भी गलती उनके लिए कई प्रकार की मुसीबतें पैदा कर देती है।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम बच्चों को लाभ मिल पा रहा है क्योंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है । आवेदन तो वह ऑनलाइन जैसे-तैसे कर लेते हैं किंतु उसके बाद भी उन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत क्यों नहीं हो रही है, यह बताने वाला विभाग में कोई नहीं है । जब भी श्रम विभाग में संपर्क किया जाता है तो उन्हें केवल एक ही उत्तर मिलता है कि वे 'कुछ नहीं' कर सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। यह 'कुछ नहीं' अधिकारियों की सेवा पूजा होते ही 'सब कुछ' में परिवर्तित हो जाता है ।

इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रष्टाचार कम होने की बजाय चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने, पहले से अधिक बढ़ गया है। इससे केवल ई मित्र वाले पैसा बना रहे हैं।

आज स्थिति यह हो गई है कि बिना आवश्यक दस्तावेज के, आपको वांछित प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यदि आप संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों की 'इच्छा' पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के लिए इतने कड़े मापदंड बना रखे हैं कि कोई भी स्वैच्छिक संस्था उनकी पूर्ति नहीं कर सकती, किंतु यदि आप धरातल पर देखें तो अनेक ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जहां न खेल के मैदान हैं, न शौचालय न पर्याप्त शिक्षक। इसके विपरीत, यदि कोई ईमानदारी से संस्था काम करना चाहती है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया की आड़ में उनके प्रार्थना पत्र कभी भी स्वीकृत नहीं होते। जब कभी कोई उनके यहां निरीक्षण के लिए आता है, तो उसकी रिपोर्ट भी इस पर निर्भर करती है कि उसकी कितनी 'सेवा पूजा' की गई है।

> **डिजिटाइजेशन, जिसे हर समस्या के हल के रूप में सरकार द्वारा लाया गया, उसने अधिकांश गरीब लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दीं, क्योंकि वे इस प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम ही नहीं हैं। सरलीकरण के नाम पर जितने भी आदेश सरकार ने जारी किए, उनसे जटिलता और बढ़ गई है। इस धरातलीय तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण उपयुक्त होंगे।**

यही स्थिति संस्थाओं के पंजीकरण की है । हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है जिसके द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत सभी स्वैच्छिक संस्थानों को देवस्थान विभाग में ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण कराना आवश्यक कर दिया गया है । इसके अभाव में उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 12A और 80G में मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। राजस्थान में हजारों की संख्या में शैक्षिक संस्थाएं हैं और देवस्थान विभाग की यह क्षमता ही नहीं है कि वे इतनी संस्थाओं का ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कर सके। इसके कारण भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे परिचित एक सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं । उन्होंने बताया कि उन्हें इस काम के लिए देवस्थान विभाग के इंस्पेक्टर/ सहायक आयुक्त के पास 40 बार जाना पड़ा, 8 महीने लगे और 20000 की रिश्वत दी गई तब उनका कार्य हो पाया। कल्पना कीजिए, केवल इस एक आदेश ने संस्थाओं के लिए कितनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। स्वैच्छिक संस्थाएं समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास या सशक्तिकरण के कार्य में अपना समय लगाएं या केवल देवस्थान विभाग के कार्यालय के चक्कर ही काटते रहें। यह उल्लेखनीय है कि ये संस्थाएं पहले से ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 में पंजीकृत हैं और इसी अनुसार वर्षों से कार्य कर रही हैं । अचानक देवस्थान विभाग में अतिरिक्त पंजीकरण का प्रावधान करके, इन संस्थाओं के लिए बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी गई है। जो संस्थाएं बहुत पुरानी हैं, उनसे कहा जाता है कि वे संस्थापक सदस्यों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें । यह नहीं सोचा गया कि जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है उन्हें देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है? एक संस्था के पदाधिकारी ने व्यंगात्मक रूप से देवस्थान विभाग के अधिकारी को बताया कि संस्थापक सदस्य स्वर्गवासी हो गए हैं । वहां के टिकट की व्यवस्था वे कर सकते हैं। विभाग का कोई कर्मचारी वहां जाकर उनसे हस्ताक्षर करा ले।

पहला बड़ा कदम मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी करके उठाया था। इसका उद्देश्य आतंकवाद की समाप्ति, भ्रष्टाचार पर अंकुश एवं काले धन को समाप्त करना था। यूपीआई पेमेंट की बढ़ती व्यवस्था के बावजूद देश में जितनी नकदी नोटबंदी के समय उपलब्ध थी, उससे कहीं अधिक आज प्रचलन में है। जिस प्रकार से विभिन्न अधिकारियों/नेताओं के घरों पर छापों में करोड़ों / अरबों रुपए के नोट पाए जाते हैं एवं जिस प्रकार चुनाव प्रचार में पैसा पानी की तरह बनाया जाता है, उससे तो यह कतई नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है एवं काला धन समाप्त हुआ है । विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में जमा बैंकों में भारतीयों की धन राशि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। कानून को कड़ा करने के दावों के बावजूद माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, निखिल चौकसी जैसे लोग हजारों करोड़ का चूना देश की जनता को लगाकर फरार हो गए हैं। सरकार आज तक इन्हें वापस भारत लाकर सजा तक नहीं दे पाई है । हाल ही में अनिल अंबानी के विरुद्ध भी 17000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है।

ऐसा लगता है कि सरकार की सारी नीतियां केवल कुछ समृद्ध लोगों की समृद्धि में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा संस्थाओं के माध्यम से, उनके काम में बहुत समस्याएं पैदा कर दी गई हैं ।

वनों की कटाई के कई बार समाचार आते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बारे में कई सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं। इन सबके बावजूद मेरे गृह नगर उदयपुर के आसपास की सारी हरी भरी पहाड़ियां काटकर वहां पर अस्पताल और बड़े होटल बना दिए गए हैं। पहाड़ियों का व्यवसायिक उपयोग के लिए इस प्रकार का दोहन शायद ही कभी हुआ हो। इसी प्रकार एक ओर जहां झीलों से 500 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है और इस कारण अनेक छोटे-छोटे मकान मालिकों को नोटिस भेजकर उनके काम को रुकवाया जाता है, वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े पांच सितारा होटलों को झील के किनारे और बीच में बनाने की अनुमति दे दी गई । नागरिकों के लिए इस प्रकार के बड़े होटल बनते हुए देखना कष्टकारी है।

कहा जाता है कि इन होटलों के निर्माण की अनुमति के लिए करोड़ों रुपए का लेनदेन होता है। क्या जिन अधिकारियों/मंत्रियों ने इस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी, वे कड़े दंड के भागी नहीं होने चाहिएं?

अंत में कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान समय में यह कहावत अच्छी तरह लागू होती है कि "समरथ को नहीं दोष गुसाईं". आम व्यक्ति के लिए तो सरकार सुबह से शाम तक उसकी उलझन ही बढ़ा रही है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सूची : गजट नोटिफ़िकेशन जारी

टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा व डिजिटल सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा

विकास आसावत

क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) की अधिसूचना दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण पहल है। इस अधिसूचना को दूरसंचार अधिनियम, 2023 व पिछले वर्ष जारी सीटीआई के नियम की निरंतरता में देखा जा सकता है। पिछले वर्ष सितम्बर में लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में सैकड़ों हैंडहेल्ड रेडियो पेजर लगभग एक साथ फटने की घटना टेलीकॉम डिवाइस या नेटवर्क में सुरक्षा चूक के बारे में सोचने को मजबूर कर देती है. जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के साइबर सुरक्षा सहयोगी क्राउडस्ट्राइक द्वारा एक कंटेंट अपडेट के व्यवधान के कारण विंडोज प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सिस्टम ठप्प हो गए व भारत समेत अन्य देशो में बैंक, एयरलाइंस, शेयर ट्रेडिंग परिचालन प्रभावित हुआ। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए टेलीकॉम डिवाइस, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण सुरक्षित, मज़बूत, भरोसेमंद व लचीला होना समय की मांग है।

क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) :- टेलीकॉम सेक्टर में उपकरण सुरक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हाल ही जुलाई माह में दूरसंचार कानून के तहत सेवा प्रदाताओं के अधीन नेटवर्क के कुछ भागों को गजट नोटिफ़िकेशन जारी कर क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) घोषित किया है। कानून के तहत इन इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवधान और विच्छेद से आर्थिक, लोक स्वास्थ्य या राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव होता है। वहीं गत वर्ष नवंबर में टेलेकम्यूनिकेशन्स (क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर) रूल्स के नोटिफिकेशन के अंतर्गत प्रत्येक दूरसंचार इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमे इनके पुर्जे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं, अनुपालना में हैं।

इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल व इंटरफेस आवश्यकताओं, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी असुरेन्स रेक्विरमेंट्स व अनुरूपता मूल्यांकन आदि के अनुरूप हो। जुलाई में जारी राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति की रिपोर्ट की अनुसंशा के अनुसार विदेशी निर्मित उपकरणों से उत्पन्न विशिष्ट जोखिमों को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता है।

मोबाइल सेवाओं के सम्बन्ध सीटीआई :- नोटिफिकेशन में 4जी मोबाइल सेवाओं के सम्बन्ध में होम लोकेशन रजिस्ट्टर (एचएलआर- उपभोक्ता के फ़ोन नंबर, लोकेशन व सर्विसेज की जानकारी का डेटाबेस) की परिचालन सहायता प्रणाली और ग्राहक संबंध मॉड्यूल को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग के रूप में सूचित किया गया है। वहीं 2जी और 3जी मोबाइल सेवाओं के सम्बद्ध में उक्त दो भाग के अतिरिक्त सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग के रूप में सूचित किया गया है। 2जी सेवाओं में टेक्स्ट व मल्टीमीडिया मैसेज व लो स्पीड, उन्नत वॉइस क्वॉलिटी आदि शामिल है। वहीं 3जी का सम्बन्ध 3.1 एमबीपीएस तक स्पीड, ब्रॉडबैंड, अधिक डाटा ट्रांसफर रेट आदि से है। 4जी में बेहतर डाटा कम्प्रेशन व फ्रीकवेंसीज़ के व्यापक रेंज के कारण तेज डाटा ट्रांसफर स्पीड और उन्नत नेटवर्क क्षमता मिलती है और इस कारण अपने से पूर्व जनरेशन सेवाओं से बेहतर होता है।

इसी नोटिफिकेशन में आगे 5 जी मोबाइल सेवाओं के सम्बन्ध में सीआरएम के अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन और एकीकृत डेटा प्रबंधन (यूडीएम-उपभोक्ता के रिकाड्र्स को मैनेज करना) की परिचालन सहायता प्रणाली को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग माना गया है। 5जी वैश्विक वायरलेस मानक है जो तेज गति, अल्ट्रा लो लेटेंसी, अधिक विश्वसनीयता, विशाल नेटवर्क क्षमता और नए ऍप्लिकेशन्स और सेवाओं को इनेबल करता है। इसी क्रम में इंटरनेट, बुनयादी, राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी व उपग्रह सेवाओं के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निर्धारित किया गया है।

सजा का प्रावधान :-मत्वपूर्ण पहलु यह भी है कि दूरसंचार के 2023 एक्ट के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्थान आदि यदि क्रिटिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचता है तो उसको तीन वर्ष का कारावास या दो करोड़ का जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। जबकि गैर क्रिटिकल टेली कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह सजा नुकसान के लिए मुआवज़ा और पचास लाख रुपये तक का जुर्माना पर सीमित है।

नेटवर्क सुरक्षा व अखंडता को मजबूती :- सेवा की निरंतरता के लिए कुछ खतरों में प्राकृतिक घटनाएँ (मौसम, भूकंप, बाढ़ और बिजली); आग, विस्फोट, दुर्घटनाओं, आंतरिक तोड़फोड़ और आतंकवाद से होने वाली क्षति है। अन्य खतरों में लॉस ऑफ़ की इनपुट जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, सॉफ़्टवेयर फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस जैसे अनुपयुक्त संकेत व फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज, ट्रैफिक ओवरलोड, मैलवेयर, हैकिंग, विशेष सिग्नलिंग मेसेजस द्वारा नेटवर्क में गड़बड़ी करना शामिल है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नियम व सूची का उद्देश्य डिजिटल सोसाइटी का आधार बनने वाले दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा, अखंडता, फ्लैक्सिबिलिटी और परिचालन निरंतरता को मज़बूत करना है। ये नियम अनुपालन मानकों, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और जोखिम न्यूनीकरण तंत्रों के माध्यम से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर खतरों सहित अन्य जोखिमों से सुरक्षित रखने में सहयोगी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चिन्हित करने के लक्ष्य में डाटा लीक के जोखिम को काम करना, साइबर खतरे व जासूसी के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार और डिजिटल सेवाओं में अधिक विश्वास कायम करना है। के किसी एक हिस्से के खराब होने पर, उपकरणों के लिए डुप्लिकेट या ट्रिपल बैकअप और विविध ट्रांसमिशन रूटिंग जैसे सोलुशन कारगर होते है। जब नेटवर्क के सभी हिस्सों को लचीला नहीं बनाया जा सकता और ऐसे मामलों में बहाली और रिपेयर की पूरक प्रक्रियाओं को मज़बूत करना होगा।

विकास आसावत,
पेटेंट अटॉर्नी एवं एडवोकेट।

शहरी सेवा शिविर में हर पात्र को मिल रहा है योजनाओं का लाभ

नागौर, राजसमन्द और भीलवाड़ा-जिला कोई भी हो, शिविर में तत्काल समस्याओं का समाधान हो रहा है

नागौर नगर परिषद् के नेहरू पार्क में लगे शहरी सेवा शिविर में 65 वर्षीया दिव्यांग रामेश्वरी देवी पत्नी नोलाराम निवासी डेह रोड़ नागौर ने बताया कि पिछले लम्बे समय से इनको वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं राशन नहीं मिल रहा। आधार कार्ड चैक करवाने पर पाया गया कि आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नम्बर सही नहीं थे व जन आधार भी आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था। इस पर शिविर प्रभारी ने सांख्यिकी विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाकर जन आधार में डेटा अपडेट करवाया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी से जन आधार का ई-केवाईसी करवाया। ई-मित्र से रामेश्वरी का पेंशन आवेदन करवाया गया। उसके बाद यूनिक डिस्एबिलिटी कार्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन करवाकर उसे सरकारी वाहन से जे.एल.एन. अस्पताल भेजकर मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जांच करवायी गई तथा जांच के आधार पर यह कार्ड जारी करवाया गया। शिविर में ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सहायक उपकरण योजना में आवेदन करवाया गया। उसके बाद वृद्ध महिला को ट्राई साईकिल का लाभ कैम्प में ही दिया गया। अब विकलांग वृद्ध महिला रामेश्वरी देवी व उनका परिवार काफी खुश है। 22 सितम्बर को इन्हे पुनः शिविर में बुलाकर इनकी विकलांग पेंशन व एनएफएसए राशन में नाम जुड़वा कर इनको तुरन्त फायदा दिलवाया गया।

गरीबी और बीमारी में निक्षय पोषण योजना ने दिया रामा रावत को सहारा :-भीलवाड़ा जिले के शिवनगर, गागेड़ा निवासी रामा रावत भी उनमें से एक हैं, जिन्हें गरीबी और बीमारी की मार के बीच निक्षय पोषण योजना ने जीने का नया सहारा दिया।

शिविर के दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने रामा को पोषण किट भेंटकर संबल प्रदान किया। रामा लंबे समय से खांसी और कमजोरी से जूझ रहे थे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गागेड़ा पर बलगम की जांच से पुष्टि हुई कि वे टीबी रोग से पीड़ित हैं। उसका तुरंत गागेड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉट्स उपचार प्रारंभ किया गया। रामा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान उसे आटा, चावल, दाल, तेल व अन्य खाद्य सामग्री से युक्त पोषण किट दी गई। इससे उसे एक तरफ टीबी से लड़ने में तो सहायता मिलेगी ही, आटा, दाल, चावल खरीद में लगने वाले धन की बचत होगी।

खेत का बंटवारा हुआ, दिलों का हुआ मिलन, दो भाईयों के चेहरे पर लौटी मुस्कान :- राजसमंद जिले के ननाणा ग्राम पंचायत के टोकरा की ढाणी निवासी धर्मसिंह एवं प्रेमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह की वर्षों पुरानी समस्या आखिरकार ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से हल हो गई। पिता के निधन के बाद दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से कृषि भूमि का मौके पर विभाजन तो कर लिया था लेकिन राजस्व रेकार्ड में अलग खाता नहीं खुलने के कारण वर्षों से उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यह पीड़ा हर बार उन्हें हताश कर देती थी। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जिले के आमेट पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत खाखरमाला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर की जानकारी मिलने पर दोनों भाई आशा की किरण लेकर शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से मिले। तुरंत कार्रवाई करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक और पटवारी को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने विभाजन पत्र तैयार कर नकल प्रदान की। विभाजन पत्र की नकल हाथों में आते ही दोनों भाइयों के चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। वर्षों से रुका हुआ सपना पूरा होने पर उन्होंने प्रशासन और राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

भीलवाड़ा से पीआरओ रविन्द्र वैष्णव, राजसमंद से एपीआरओ प्रवेश परदेशी व नागौर से एपीआरओ अजीतसिंह।

भीलवाड़ा में सिंधी समाज ने 35 कर्मवीर डॉक्टरों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया

भीलवाड़ा, (निसं)। सामाजिक सरोकारों में हमेशा अग्रणी रहने वाला सिंधी समाज रविवार को एक और अनूठी पहल का गवाह बना। पूज्य दादा हेमराजमल साहब सेवा समिति के तत्वावधान में नाथद्वारा सराय स्थित पूज्य दादा हेमराज मल भगत झूलेलाल सनातन मंदिर परिसर में भव्य सिंधु रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के 35 कर्मवीर डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके चिकित्सकीय कौशल और समाज सेवा में योगदान के लिए "सिंधु रत्न प्राइड" सम्मान से अलंकृत किया गया।

सम्मानित किए गए चिकित्सकों में डॉ. वीरभान चंचलानी, गिरीश-आशा दत्ता, मनोज गंगवानी, कमल-रिचा रिजवानी, अमित थावानी, वंदना थावानी, जितेंद्र थावानी, प्रियंका-धनीश खूबचंदानी, प्रकाश-अंजू थावानी, विशाल जेठानी, मोहनदास थावानी, रोहित सचदेव, लकी नारवानी, समीर ठाकुर, अशोक खटवानी, रचना सखरानी, महिमा माखीजा, भूपेंद्र-नीलम भोजवानी, कन्हैयालाल जेठानी, वर्षा-दिलीप गजवानी सहित अन्य डॉक्टर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इन सभी को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तिलक-अक्षत, माल्यार्पण, उपरना व शाल ओढ़ाकर तथा श्रीफल व सिंधु चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वर्षा अशोक सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, अति. कलेक्टर शहर प्रतिभा देवथिया, पूर्व अति. कलेक्टर हुँदल विधानी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हरीश गुरनानी, भाजपा जिला महामंत्री अविनाश जीनगर, विधायक अशोक कोठारी के प्रतिनिधि बाबूलाल टाक, कोहिनूर सेवा समिति अध्यक्ष छीतर मल गेंगट तथा शाहपुरा के पूर्व उपप्रधान बजरंग सिंह राणावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष रमेश सभनानी व भगत टेऊं राम ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान झूलेलाल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद समाज के वरिष्ठजनों, पार्षदों व अतिथियों का शाल-उपरना पहनाकर स्वागत-सत्कार किया गया।

राशिफल मंगलवार 23 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र सायं 6:20 तक, ब्रह्म योग रात्रि 8:22 तक, बालव करण दिन 3:51 तक, चन्द्रमा रात्रि 2:56 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग दिन 1:40 से आरम्भ होगा। आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्नति है। आज से राष्ट्रीय आश्विन मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:20 से 10:44 तक, लाभ 10:49 से 12:14 तक, अमृत 12:14 से 1:49 तक, शुभ 3:19 से 4:49 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:20

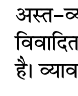

मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

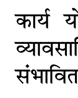

वृष

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

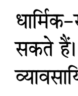

मिथुन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

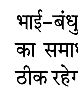

कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

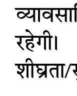

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

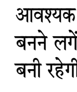

कन्या

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

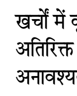

तुला

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

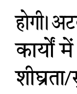

वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

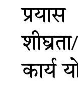

धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

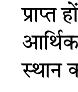

मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

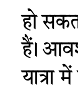

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

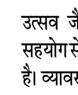

मीन

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।